

दिशा—निर्देश
(सत्र 2026—27)
अभिभावक परामर्शदात्री
(IEd-Samagra- Parental Counselling)

अवधारणा एवं उद्देश्य :-

समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य के समस्त विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) की पहचान के पश्चात् उनके लिये आवश्यक सहायक सामग्री, अंग उपकरण एवं शिक्षण सामग्री का प्रबन्ध करते हुये शिक्षण व्यवस्था संदर्भ कक्ष/विद्यालयों में की जाती है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं की अनुपलब्धता एवं जानकारी के अभाव में गंभीर दोष से प्रभावित बालक—बालिकाओं के माता—पिता अपेक्षित सम्बलन सेवाएं उपलब्ध करवाने में कठिनाई महसूस करते हैं। अभिभावकों को इस स्थिति से उबारने एवं विद्यार्थियों (CwSN) को उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुये उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत इन विद्यार्थियों (CwSN) के अभिभावकों के लिए परामर्शदात्री कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार किया जाना है :-

1. पेरेन्टल काउंसलिंग (अभिभावक परामर्शदात्री कार्यक्रम) ब्लॉक के संदर्भ कक्ष पर आयोजित किये जायेंगे।
2. दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, बौद्धिक निःशक्तता, सेरेब्रल पाल्सी एवं बहु निःशक्तता इत्यादि श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों हेतु काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।
3. जिला कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम की योजना बनाकर समस्त ब्लॉक को भिजवायी जायेगी। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन का दायित्व संबंधित ब्लॉक के सीबीईओं के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IEd) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक का होगा।
4. अभिभावकों एवं विद्यार्थियों (CwSN) की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IEd) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/विशेष शिक्षक द्वारा संबंधित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) के अभिभावकों को समय पूर्व सूचना प्रेषित की जायेगी।
5. पेरेन्ट्स काउंसलिंग में सभी तीन श्रेणियों (पूर्ण दृष्टिबाधित, VI श्रवणबाधित, HI एवं बौद्धिक निःशक्तता ID) के संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/विशेष शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य है।

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.08.10 12:32:19 IST
Reason: Approved 11 Page



6. संदर्भ कक्ष/संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में किसी श्रेणी विशेष के संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/विशेष शिक्षक उपलब्ध न होने की स्थिति में ब्लॉक के किसी अन्य विद्यालय से उस श्रेणी के विशेष शिक्षक को परेन्टल काउंसलिंग कार्यक्रम हेतु लगाया जायेगा।
7. विद्यार्थियों (CwSN) एवं अभिभावकों को काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि में संदर्भ कक्ष पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित ब्लॉक के सीबीईओं के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IEd) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक का होगा।
8. काउंसलिंग के दौरान संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/विशेष शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के सहयोग से विद्यार्थियों (CwSN) की केस हिस्ट्री संलग्न प्रपत्र में तैयार की जावेगी एवं प्रत्येक विद्यार्थियों (CwSN) हेतु पृथक्-पृथक् फाईल का संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जावेगा। काउंसलिंग के दौरान संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/विशेष शिक्षक द्वारा अभिभावकों को भावनात्मक सम्बलन प्रदान करते हुये विद्यार्थियों के लिये उपयुक्त पुनर्वास आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।
9. अभिभावकों को समावेशी शिक्षा की समस्त गतिविधियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाकर विद्यार्थियों (CwSN) की अधिकतम भागादारी हेतु प्रेरित किया जायेगा।
10. काउंसलिंग के दौरान लंच के पूर्व सभी अभिभावकों को एक साथ काउंसलिंग प्रदान की जायेगी एवं लंच उपरान्त अलग-अलग विकलांगता श्रेणी (VI, HI & ID) के अनुसार संबंधित संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/विशेष शिक्षक द्वारा काउंसलिंग प्रदान की जायेगी।
11. अभिभावकों को विद्यार्थियों (CwSN) के लिये "अतिसुरक्षा एवं परित्याग" की प्रवृत्ति समाप्त करते हुये विद्यार्थियों (CwSN) के लिये घर-परिवार में सामान्य वातावरण एवं सामान्य व्यवहार हेतु प्रेरित किया जायेगा।
12. काउंसलिंग के दौरान अभिभावकों के साथ सहानुभूति (Sympathy) के स्थान पर तदनुभूति (Empathy) का सिद्धान्त अपनाया जाये ताकि अभिभावक हीनता की भावना महसूस ना करें।
13. काउंसलिंग के दौरान अभिभावकों की सहभागिता एवं उत्तरदायित्वों के क्रम में विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।
14. राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) हेतु उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।
15. यदि विद्यार्थी द्वारा किसी अंग-उपकरण का उपयोग किया रहा है तो इनकी देखभाल व निरन्तर कार्यकुशलता के लिए अभिभावक को जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
16. विद्यार्थियों (CwSN) के दोष की गंभीरता के नियंत्रण हेतु आवश्यक गतिविधियों का निर्धारण करते हुये अभिभावकों को इस कार्यक्रम में भागीदारी हेतु प्रेरित किया जायेगा।
17. होमबेस्ड एज्यूकेशन के बालक-बालिकाओं हेतु संदर्भ कक्ष में उपलब्ध करवाये जाने वाले शैक्षिक/थैरेपेटिक संबलन के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
18. कार्यक्रम समापन उपरान्त जिला कार्यालय समग्र शिक्षा एकीकृत रिपोर्ट परिषद् कार्यालय को प्रेषित करें।
19. परिषद् कार्यालय द्वारा मॉड्यूल पृथक से भिजवाया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.08.10 12:32:19 IST
Reason: Approved 21 Page

वित्तीय प्रावधान :-

- सत्र में पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम (Parental Counselling) हेतु अधिकतम राशि ₹ 15,000/-प्रति ब्लॉक का प्रावधान है। प्रति पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम हेतु व्यय निम्नानुसार किया जा सकेगा :-

Parental Counselling हेतु व्यय प्रावधान :-

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	संभागियों की संख्या	दर ₹	राशि
1	संभागियों हेतु चाय, भोजन व्यवस्था।	100	100	₹10000
2	स्टेशनरी व अन्य व्यय।	एकमुश्त		₹500
3	संभागियों हेतु आने-जाने का किराया।	वास्तविक		₹4500
योग				₹ 15000

- आवश्यकता होने पर एक उपमद में निर्धारित प्रावधान से अधिक व्यय होने के स्थिति में अन्य उपमद की बचत से व्यय किया जा सकता है किन्तु कुल व्यय ₹ 15,000/- से अधिक नहीं होना चाहिए।
- पेरेन्टल काउंसलिंग हेतु व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- Parental Counselling हेतु 50 अभिभावकों एवं 50 बच्चों को ही आमंत्रित किया जायेगा।
- उक्त मानदण्डानुसार पेरेन्ट्स काउंसलिंग संदर्भ कक्ष पर सितम्बर से नवम्बर, 2026 में आयोजित किया जाना है।

मॉनिटरिंग :-

- कार्यक्रम की प्रभावी मॉनीटरिंग संबंधित ब्लॉक के सीबीईओ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा पर्यवेक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सीबीईओ संबंधित ब्लॉक व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
- काउंसलिंग कार्यक्रम का रिकार्ड संधारण ब्लॉक कार्यालय एवं संदर्भ कक्ष पर निम्न प्रारूप में किया जायेगा :-

क्र.सं.	नाम अभिभावक	बालक का नाम	दोष का प्रकार	पता	दूरभाष न.	हस्ताक्षर अभिभावक	प्रदत्त परामर्श का संक्षिप्त विवरण

इस परिप्रेक्ष्य में जिला परियोजना समन्वयक उक्तानुसार कार्यवाही कर परिषद् कार्यालय को रिपोर्ट प्रेषित करायेंगे।

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाये।

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.08.10 12:32:19 IST
Reason: Approved 3 | Page

- संबंधित IA द्वारा SNA खाते में से राशि अपनी संस्था के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाती है, तो उक्त राशि व्यय के बाद जो शेष रह जाती है। उसको उसी वित्तीय वर्ष में एसएनए खाते में जमा कराया जाना आवश्यक है एवं उक्त राशि की अनियमित पार्किंग किसी अन्य खाते में ना की जावे।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(डॉ० रश्मि शर्मा)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2026-27/ Parental Counselling /

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (योजना एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.08.10 12:32:19 IST
Reason: Approved 4 | Page

RajKaj Ref No.:
23550565

M e-Sign

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2026-27/

दिनांक :

केस हिस्ट्री

- विद्यार्थी का नाम
- पिता/माता का नाम
- आयु
- दोष का प्रकार एवं श्रेणी
- स्थायी पता एवं मोबाइल नं0
- विद्यार्थी से संबंधित समस्याएं यदि कोई हो तो
- विद्यार्थी की वर्तमान स्थिति (संबंधित को ✓ करें)
 - (A) दैनिक जीवन के क्रियाकलाप (सामान्य/ न्यून/लगभग, नगण्य)
 - (B) सामाजिक कौशल (सामान्य/ न्यून/लगभग, नगण्य)
 - (C) शैक्षणिक कौशल (सामान्य/न्यून/लगभग, नगण्य)
 - (D) पूर्व व्यावसायिक कौशल (सामान्य/न्यून/लगभग, नगण्य)
- विद्यार्थी में दोष के कारण
 - (A) जन्म से पूर्व
 - (B) जन्म के समय
 - (C) जन्म के पश्चात्
- विद्यार्थी के दोष का पता व जानकारी कब व किसके द्वारा हुआ ?
.....
- अभिभावकों के द्वारा किए गए प्रारम्भिक प्रयास :-
.....
- यदि विद्यार्थी को वर्तमान में होमबेस्ड एज्यूकेशन उपलब्ध कराई जा रही है तब सुधार की स्थिति -
.....
.....

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.08.10 12:32:19 IST
Reason: Approved 5 | Page

- विद्यार्थी हेतु किसी अंग व उपकरण अथवा सहायक सामग्री की आवश्यकता :-

.....

- विद्यार्थी को उपलब्ध करवाई गई सहायता का विवरण :-

.....

- बालक के अंग व उपकरण की वर्तमान स्थिति :-

.....

- विद्यार्थी के प्रभावी विकास हेतु किए जाने वाले उपचारात्मक प्रयास :-

.....

.....

.....

- विद्यार्थी के प्रभावी विकास हेतु अभिभावकों से अपेक्षाएँ :-

.....

.....

.....

- विशेष विवरण :-

.....

.....

.....

दिनांक :-

हस्ताक्षर

संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/विशेष शिक्षक

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.08.10 12:32:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23550565

M e-Sign

INCLUSIVE EDUCATION 2026-27

Parental Counselling

S.N.	Name of District	No. of Blocks	Fin. (in Rs. 15000 per Blocks)
1	AJMER	10	1.50
2	ALWAR	11	1.65
3	BALOTARA	9	1.35
4	BANSWARA	13	1.95
5	BARAN	8	1.20
6	BARMER	14	2.10
7	BEAWAR	6	0.90
8	BHARATPUR	7	1.05
9	BHILWARA	14	2.10
10	BIKANER	10	1.50
11	BUNDI	5	0.75
12	CHITTAURGARH	11	1.65
13	CHURU	8	1.20
14	DAUSA	12	1.80
15	DEEG	6	0.90
16	DHAULPUR	6	0.90
17	DIDWANA-KUCHAMAN	7	1.05
18	DUNGARPUR	12	1.80
19	GANGANAGAR	9	1.35
20	HANUMANGARH	7	1.05
21	JAIPUR	24	3.60
22	JAISALMER	7	1.05
23	JALOR	10	1.50
24	JHALAWAR	8	1.20
25	JHUNJHUNU	11	1.65
26	JODHPUR	15	2.25
27	KARAULI	8	1.20
28	KHAIRTHAL-TIJARA	4	0.60
29	KOTA	6	0.90
30	KOTPUTLI-BEHROR	6	0.90
31	NAGAU	8	1.20
32	PALI	9	1.35
33	PHALODI	8	1.20
34	PRATAPGARH (RAJ.)	8	1.20
35	RAJSAMAND	8	1.20
36	SALUMBAR	6	0.90
37	SAWAI MADHOPUR	7	1.05
38	SIKAR	12	1.80
39	SIROHI	5	0.75
40	TONK	7	1.05
41	UDAIPUR	16	2.40
	Total	378	56.70

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.08.10 12:32:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23550565

M e-Sign